Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

श्यामलाल वगै0 बनाम कन्या वगै0

किस्म मुकदमा..................225 आर टी एक्ट.............61/24......अपील संख्या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	यह अपील श्री नेमीचंद बैरवा एड.द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 96/2024 मे पारित अन्तरिम एक पक्षीय आदेश दिनांक 8.8.2024 के विरूद्व पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाकर अंकित किया है कि प्रकरण मे विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण मौके पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण कार्य एवं रहन बेचान नही करे। आगामी पेशी पर उक्त आदेश न्यायालय को उपयुक्त लगता है तो आदेश मे क्रियान्विति की जावेगी। पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.11.24 नियत की गई है। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है जो केस डिसाईडेड की परिभाषा मे नही आता है यह आदेश एक अन्तरिम आदेश है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। इस स्तर पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। न्यायहित मे प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे आगामी 2 माह मे उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ का विवेचन कर प्रकरण का अंतिम निस्तारण करें। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner